दिनांक:19.07.2025

-प्रेस नोट-

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का पंखा, मोटर के पार्टस, व 810/- रूपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि **दिनांक 18.07.2025 को वादी श्री राजपाल सिंह S/O श्री रामसिंह निवासी ग्राम गागलहेडी थाना गागलहेडी सहारनपुर** की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान से नोटो की माला चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0स0 135/25 धारा 303(2) बीएनएस व **दिनांक 19.07.25 को वादी श्री वकिल पुत्र जमील निवासी ग्राम पठैड थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 17.07.2025 की रात्रि मे वादी की दुकान से अज्ञात चोर द्वारा बिजली की मोटर व वैल्डिंग की मशीन लीड व गैस होल्डर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0स0 136/25 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.07.25 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा चैकिग के दौरान उपरोक्त मुकदमों में चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित चोर/**अभियुक्त रहमान पुत्र वहीद निवासी ग्राम पाली थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को हिंडन नदी के पुराने पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद पंखा, मोटर के पार्टस, कुल 810 रूपये बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर कि एक हफ्ते पहले मैंने गागलहेडी कस्बे में मौजूद्दीन मार्किट कस्बा गागलहेडी मे स्थित शिवा क्लाथ हाउस नाम की दुकान से एक नोटो की माला चुराई थी जिसमें 20-20 के नोट थे, माला मैंने कहीं तोडकर फेंक दी थी और नोट मैंने अपने पास ही रख लिये थे जिसमें से कुछ रूपये मैंने खर्च कर दिये जिसमें से 340 रुपये बचे हैं और दिनांक 17.07.25 को सुबह करीब 11.00 बजे अम्बिका इलेक्ट्रानिक्स की दुकान से ये पंखा चुराया था। इसी दिन रात में मैंने मुजफ्फरनगर को जाने वाले हाईवे पर स्थित गागलहेडी दिनारपुर मे एसआर पब्लिक स्कूल के पास वैल्डिंग की दुकान से मैंने एक बिजली की मोटर व गैस होल्डर व लीड चुराई थी, मोटर को तोडकर मैंने इसके अन्दर का तांबा व गैस होल्डर व लीड एक रेहडी वाले कबाडी को 700 रुपये में बेच दी थी जिसमें में से 470 रुपये मैरे पास बचे हैं बाकी मैने खर्च कर दिये हैं। आज मैं यह चोरी का पंखा और मोटर के लोहे के टुकडे बेचने जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. रहमान पुत्र वहीद निवासी ग्राम पाली थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 01 अदद पंखा
- मोटर के पार्टस
- 810 रूपये नकद

अभियुक्त रहमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 135/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गागलहेडी स0पुर
2. मु0अ0स0 136/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गागलहेडी स0पुर
3. मु0अ0स0 148/22 धारा 60 आवकारी अधिनियम थाना गागलहेडी स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना गागलहेडी स0पुर
2. उ0नि0 श्री राजीव कुमार गौर थाना गागलहेडी स0पुर
3. उ0नि0 श्री रविकान्त गिरी थाना गागलहेडी स0पुर

3\. का0 2492 मुकेश कुमार थाना गागलहेडी स0पुर

दिनांक 19-07-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के मुकदमें में अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 12.06.2020 को वादी उ0नि0 राजीव कुमार थाना नानौता जिला सहारनपुर द्वारा अभियुक्त शाहिद कुरैशी पुत्र मौहम्मद रफी निवासी गुलाम औलिया थाना गंगोह जिला सहारनपुर के कब्जे से 11 ग्राम अवैध स्मैक बरामद होने की सूचना के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0स0-247/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-877/2020 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एडीजे कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 19.07.2025 को अभियुक्त शाहिद कुरैशी पुत्र मौहम्मद रफी निवासी गुलाम औलिया थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को मु0अ0स0 247/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

शासकीय अधिवक्ता श्री अमित त्यागी (ए0डी0जी0सी0)
विवेचक उ0नि0 श्री गुलाब सिंह
पैरोकार है0का0 349 मनीषकान्त थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

दिनांक 19-07-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश/एडीजे-01 जनपद सहारनपुर द्वारा जानलेवा हमले के मुकदमें 03 अभियुक्तों को 04 वर्ष का कारावास व 21 हजार रूपयें के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 12.04.22 को वादी उ0नि0 सतेन्द्र सिंह थाना सरसावा जिला सहारनपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. टोनी पुत्र किलेपाल निवासी अलीपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर, 2. योगेश पुत्र मेधराज निवासी डूंगर किशनपुरा थाना तीतरो जनपद सहारनपुर व 3. कल्लू पुत्र फेमुददीन नि0 बढियो का कुंआ मानकमऊ थाना कुतुबशेर सहारनपुर व 04 अन्य द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करना व जिससे पुलिस पार्टी बाल-बाल बचना व अभिगण के कब्जे से चोरी के बिजली मोटर व उपकरण बरामद होने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0स0-141/22 धारा 307,414 भादवि के पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-2012/2025 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एडीजे-01 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एडीजे कक्ष संख्या-01 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 19.07.2025 को अभियुक्तगण 1. टोनी पुत्र किलेपाल निवासी अलीपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर व 2. योगेश पुत्र मेधराज निवासी डूंगर किशनपुरा थाना तीतरो जनपद सहारनपुर 3.कल्लू पुत्र फेमुददीन नि0 बढियो का कुंआ मानकमऊ थाना कुतुबशेर सहारनपुर को मु0अ0स0-141/22 धारा 307,414 भादवि को दोषी पाते हुए अभियुक्तो को 04 वर्ष का साधारण कारावास व 21 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

नोट- अन्य 04 अभियुक्तो की फाइल मा0 न्यायालय में प्रचलित है

शासकीय-अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री राजवीर सिंह
विवेचक- उ0नि0 जितेन्द्र त्यागी
पैरोकार-है0का0 439 गौरव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर